

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/840

-- आदेश --

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुसीप व भू.अ.नि. थापन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/सम्बुडी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मा. शि.वेर्ड प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/सम्बुडी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/सम्बुडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	कुसीप	13, 14.	मोहन राम पुत्र नवारा म	मोहन लाल पुत्र नवारा म
02	खेडा खिदावडा	147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154		

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025/49

दिनांक:- 16-10-2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/सम्बुडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण मोहन लाल पुत्र नवारा म जाति मेघवाल निवासी-खेडा खिदावडा तहसील सिवाना/सम्बुडी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

